न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 85 / 2017 **दायर दिनांक :—05.06.2017**

उनवान

1. ब्रह्मप्रकाश आयु 38 वर्ष पुत्र बलराम जाति अहीर निवासी हाथीदिलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र आयु 38 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी हाथीदिलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

निर्णय

दिनांकः— 05.03.2025

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188. 183 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल दिलोदहाथी तहसील अटरू में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 के अनुसार खाता संख्या 314 की ख0नं0 2216 / 1528 रकबा 0.11 है0 भूमि वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी झगडालू किस्म का व्यक्ति है तथा गैर कानूनी तरीके से वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि में कच्चा मकान निर्माण करने पर आमदा है। प्रतिवादी ने दिनांक 01.06.2017 को कच्चा मकान निर्माण हेतु वादी के स्वामित्व एवं कब्जे में चली आ रही भूमि ख0नं0 2216 / 1528 रकबा 0.11 है0 भूमि में दक्षिणी—पूर्वी हिस्स्से में मिट्टी, पत्थर डालकर जबरन नींव खोदना शुरू कर दिया। वादी ने मना किया तो प्रतिवादी लडाई—झगडा करने पर आमादा हुआ तथा वादी को जान से मारने पर उतारू हुआ। प्रतिवादी के अवेधानिक कृत्य को बिना सहायता न्यायालय रोका जाना सम्भव नही है अस्तु वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी वादी के स्वामित्व व कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि ख0नं0 2216 / 1528 रकबा 0.11 है0 भूमि में अतिक्रमण कर कोई मकान

का निर्माण कार्य नही करें यदि मकान निर्माण कर ले तो उसको तुडवाया जाकर बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा सम्भलाया जावें। वाद कारण दिनांक 01.06.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादी के स्वामित्व एवं कब्जेशुदा भूमि पर मकान निर्माण करने हेतु मिट्टी डालने पर व नींव खोदना शुरू करने पर बमुकान दिलोदहाथी में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावेंः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, अतिक्रमण कर कोई निर्माण कार्य नही करें। यदि निर्माण कार्य कर ले तो उसे तुडवाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं. 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 झूठे एवं मनघडन्त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद नं. 3 मिथ्या एवं झूठे तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 4 अस्वीकार है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। वाद पत्र की मद नं. 5 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 6 कानूनी है, स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 7 कानूनी है। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष स्वीकार नही है। प्रतिवादी द्वारा विशेष कथन के रूप में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किये।

विशेष कथन

वादी ब्रह्मप्रकाश ने छीतरलाल पुत्र ग्यारसीराम कुम्हार से उपर की साईड जिसके पास राई वाले रामदयाल जी की जमीन है, को खरीदा था। जिसमें राई वालों की तरफ से ब्रह्मप्रकाश केता की भूमि है। जिसका रास्ता बलराम जी अहीर की दीवार के पास 7 फुट रास्ता दिया है। आगे की साईड का हिस्सा शंकरलाल व प्रतिवादी महेन्द्र दोनो का है। जिस बाबत्

छीतरलाल, कजोडीलाल, रामलाल, शंकरलाल व महेन्द्र के मध्य पूर्व में इकरार नामा हुआ था। जो एक सादा कागज पर निष्पादित करवाया गया था। जिसमें सभी के हस्ताक्षर है। जिसके मुताबिक महेन्द्र व शंकरलाल आगे चुनाई करायेंगे तो रास्ता छोडकर दीवार की चुनाई करवायेंगे। वादी ब्रह्मप्रकाश की भूमि से प्रतिवादी का कोई लेना देना नही है। वादी के पास ही प्रतिवादी महेन्द्र का पैतृक खलियान है। जिस पर वह कच्चा मकान बनाकर परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त खलियान पर प्रतिवादी महेन्द्र का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। जिसको वादी खरीदना चाहता था लेकिन प्रतिवादी द्वारा बेचान करने से मना करने पर वादी ने जबरन अनर्गल तथ्यों पर वाद पेश किया है जो मेन्टेबल नही होने से खारिज होने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया कि वादी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी को वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु पाबन्द कराने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नं0 2– आया की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया हो तो उसे बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नं0 3– आया कि जवाब दावे की विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 व 2 का वाद पर क्या प्रभाव है ?

प्रतिवादी

तनकी नं0 4– अनुतोष ?

साक्ष्यवादी के तहत pw1 ब्रह्मप्रकाश पुत्र बलराम जाति अहीर निवासी हाथीदिलोद तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया है। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयानों ने बताया कि प्रतिवादी महेन्द्र ने वादी के स्वामित्व व कब्जे शुदा भूमि में गैर कानूनी तरीके से दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मिट्टी पत्थर डालकर दिनांक 01.06.2017 को नींव खोदना शुरू कर दिया। अतः प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा संभलाया जावें। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। जिरह में वादी ब्रह्मप्रकाश ने कथन किया कि वर्तमान में वहॉ किसी का मकान बना हुआ नही है।

साक्ष्य प्रतिवादी के तहत Dw1 महेन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू, Dw2 रामदयाल पुत्र मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू, Dw3 नन्दलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किये गये।

साक्ष्य प्रतिवादी Dw1 महेन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू ने सशपथ बयानों में बताया कि ब्रह्मप्रकाश की भूमि से मेरा कोई लेन देना नही है। ब्रह्मप्रकाश के पास ही मेरा पैतृक खलियान है जिस पर वर्षो से कच्चा मकान बनाकर परिवार सहित निवास करता आ रहा हुॅ। उक्त खलियान पर मेरा पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। जिसको ब्रह्मप्रकाश खरीदना चाहता है लेकिन मेरे द्वारा उसे बेचान करने से मना करने पर उसने झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिरह वकील वादी में प्रतिवादी बह्मप्रकाश ने स्वीकार किया कि मैने जिस जमीन पर पत्थर डाले वो सरकारी जमीन है मैने जो खलियान डाल रखे है वो वादी की जमीन पर नही सरकारी जमीन पर डाल रखा है।

इसके अतिरिक्त साक्ष्य प्रतिवादी Dw2 रामदयाल पुत्र मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू तथा Dw3 नन्दलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू ने सशपथ बयानों में बताया कि महेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूलाल (प्रतिवादी) ने वादी के खाते की जमीन पत्थर डाल रखे हो तो हमे पता नही है।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से कब्जे काश्त के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/458 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार ग्राम दिलोदहाथी के खाता संख्या 314 के ख0नं0 2216/1528 रकबा 0.11 है0 आराजी ब्रह्मप्रकाश पुत्र बलराम के नाम खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेश:– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः—

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 कतिपय अतिचारियों की बेदखलीः—

i- इस अधिनियम में किसी उपबंध मे किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अतिचारी, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसे बनाए रखता है तो उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन उसको बेदखल करने के लिए हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा वाद करने पर बेदखली के लिए दायी होगा और प्रत्येक उस सम्पूर्ण कृषि वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए जिसके दौरान उसे ऐसा कब्जा रखा, शस्ति के रूप में ऐसी राशि जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुना तक हो सकेगी, संदत्त करने का अतिरिक्त रूप से दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, वाद वादी, जवाब वाद पत्र, नकल ग्राम व माल दिलोदहाथी खाता संख्या 314 सम्वत 2072—2075, तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/458 दिनांक 27.02.2025 धारा 188 आर.टी.एक्ट तथा धारा 183 आर.टी.एक्ट का अध्ययन करने तथा वाद में बनाई गई तनकीयों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य तनकीवार साबित होते है।

1. नकल जमाबन्दी ग्राम व माल दिलोदहाथी खाता संख्या 314 सम्वत 2072—2075 के अनुसार वादी ब्रह्मप्रकाश पुत्र बलराम का नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः वादी प्रतिवादी को वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु पाबन्द कराने का अधिकारी है।
2. तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/458 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम व माल ग्राम व माल दिलोदहाथी खाता संख्या 314 के ख0नं0 2216/1528 का रकबा 0.11 है0 भूमि से से 0.04 है0 भूमि पर महेन्द्र पुत्र प्रभूलाल एवं 0.07 है0 भूमि पर ब्रह्मप्रकाश पुत्र बलराम का कब्जा है। अतः धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत विवादित आराजी के रिकार्ड तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार वादी प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. जवाब दावे की विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 तथा 2 का दावे पर प्रभावः—

- मद नं0 1 में जो कथन किए गए है उसके पक्ष में कोई दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा पेश नही किया गया है।
- मद नं0 2 में प्रतिवादी ने वादी की प्रतिवादी से जमीन खरीदने संबंधी इच्छा पर पूर्व की बात का कथन किया है। स्वयं की भूमि का बेचान करना या न करना खातेदार की स्वयं की इच्छा पर निर्भर है तथा मद नं0 2 के पक्ष में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

धारा 188 आर.टी.एक्ट की तीनों शर्ते भी उपरोक्त विवरण व विश्लेषण से साबित होती है।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2025/458 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार प्रतिवादी का वादी की भूमि पर कब्जा बताया गया है। अतः धारा 183 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत वाद दायर करने का हकदार है।

उपरोक्त वर्णन, विश्लेषण व विवेचन के आधार पर ग्राम दिलोदहाथी की विवादित आराजी पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त वर्णन, विवेचन, विश्लेषण एवं तथ्यों के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि पुनः मुस्तकिल बिन्दुओं के आधार पर निष्पक्ष टीम गठित कर भूमि की पैमाईस करवाकर अतिचारी को बेदखल करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा उभयपक्ष स्वयं के हक हिस्से से अधिक भूमि पर दखलंदाजी न करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 85/2017 **दायर दिनांक :–05.06.2017**

उनवान

1. ब्रह्मप्रकाश आयु 38 वर्ष पुत्र बलराम जाति अहीर निवासी हाथीदिलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. महेन्द्र आयु 38 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी हाथीदिलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल
प्रतिवादी :–विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि पुनः मुस्तकिल बिन्दुओं के आधार पर निष्पक्ष टीम गठित कर भूमि की पैमाईस करवाकर अतिचारी को बेदखल करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा उभयपक्ष स्वयं के हक हिस्से से अधिक भूमि पर दखलंदाजी न करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 05.03.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)